–:निर्णयः–

दिनांक 24.09.2025

अधिवक्ता वादीया द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीया एंव प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध एवं प्रमाणित पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो शीर्षक वाद पत्र में निवेदित किया गया है।

यह कि चक 4 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 19/16, खाता अता मोहम्मद आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के पत्थर नम्बर 95/238 (2) किला नम्बर 2/1/.215, 2/2/.038, 3/1/.215, 3/2/.038, 4/1/.215, 4/2/.038, 7 से 25/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 95/239 (11) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.228, 5/2/.025, 6 से 15/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 9.361 हैक्टेयर कृषि भूमि में चंद कौर पत्नी जगर सिंह के नाम 335/9361 हिस्सा यानि .335 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि चक 4 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्ंया 21/18, खाता चन्द कौर, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के पत्थर नम्बर 94/239 (12) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.

कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.013, 3/4/.114 हैक्टेयर कुल .633 हैक्टेयर आराजी चन्द कौर पत्नी जगर सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि .चक नम्बर 6 जे.डी.डब्लयू. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 52/51, खाता अमृतपाल कौर आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के पत्थर मम्बर 84/236 (23) किला नम्बर 23/1/.126, 24/.253, पत्थर नम्बर 84/237 (26) किला नम्बर 3/.253, 4/.253, 5/1/.203, 5/2/.025, 5/3/.025, 6/1/.203, 6/2/.025, 6/3/.025, 7, 8, 13, 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.203, 15/2/.025, 15/3/.025, 16/1/.203, 16/2/.025, 16/3/.025, 17/.253, 18/.253, 23/.152, 24/.253, 25/1/.203, 25/2/.025, 25/3/.025 हैक्टेयर कुल 4.073 हैक्टेयर कृषि भूमि में चंद कौर पत्नी जगर सिंह के नाम 968/4073 हिस्सा यानि .968 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि खातेदार काश्तकार चन्द कौर पत्नी जगर सिंह की दिनांक 25.02.2007 तथा जगर सिंह की दिनांक 01.07.1996 को मृत्यु हो चुकी है। चंद कौर की पुत्री सुखपाल कौर पत्नी रणजीत सिंह की दिनाक 27.08.2015 को व पुत्र रणजीत सिंह की दिनांक 09.09.1996 तथा परमजीत कौर पुत्री चंद कौर की दिनांक 27.07.2024 तथा दलीप सिंह पुत्र चन्द कौर की भी मृत्यु हो चुकी है तथा चंद कौर व जगर सिंह की मृत्यु उपरान्त व चंद कौर के पुत्र-पुत्रीयां सुखपाल कौर, रणजीत सिंह, दलीप सिंह, परमजीत कौर की मृत्यु उपरान्त इनके समस्त ज़ायज व कानूनी वारिसान द्वारा अपने हक हिस्से का परित्याग 1/2 हिस्सा वादीया के नाम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण सख्या 1 त 3 के नाम जरिये पंजीकृत हक त्याग दिनांक 29.03.2025 किया हुआ है परन्तु प्रतिवादीया सख्या 4 द्वारा अपने को चंद कौर की मृत्यु उपरान्त प्राप्त होने वाले हक हिस्से का परित्याग नही किया अर्थात चन्द कौर के नाम दर्ज आराजी में प्रतिवादी सख्या 4 - 1/25 हिस्सा विरास्तन प्राप्त करने की अधिकारी है तथा वादीया हक त्याग उपरान्त चंद कौर के नाम दर्ज आराजी में 23/50 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 - 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सख्या 4-1/25 हिस्सा की घोषणा प्राप्त करने की अधिकरी है।

यह कि वादीया मुताबिक पंजीकृत हक त्याग अनुसार अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी चंद कौर के नाम दर्ज होने से वादीया के हितो पर विपरित प्रभाव पड रहा है तथा वादीया समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही वितीय सुविधा का लाभ तथा कृषि भूमि को रहन, बेचान इत्यादि की सुविधा लेने से वंचित हो रही है।

यह कि वादीया ने प्रतिवादीगण को एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि मुताबिक पंजीकृत हक त्याग दिनांक 29.03.2025 वादीया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि को वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।

यह कि वाद माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :-

(क) कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 ता 4 में चंद कौर के नाम दर्ज आराजी में वादीया के नाम 23/50 हिस्सा की घोषणा, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 के नाम, 1/2 बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादीया सख्या 4 के नाम 1/25 हिस्सा की घोषणा की जाकर उक्त खातो से चंद कौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

(ख) कि खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादीया को दिलाया जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीया को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावें।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता शमशेर सिंह उपस्थित व वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने राजीनामा पेश किया जिसमें खातेदार काश्तकार चन्द कौर पत्नी जगर सिंह की दिनांक 25.02. 2007 तथा जगर सिंह की दिनांक 01.07.1996 को मृत्यु हो चुकी है। चंद कौर की पुत्री सुखपाल कौर पत्नी रणजीत सिंह की दिनाक 27.08.2015 को व पुत्र रणजीत सिंह की दिनांक 09.09.1996 तथा परमजीत कौर पुत्री चंद कौर की दिनांक 27.07.2024 तथा दलीप सिंह पुत्र चन्द कौर की भी मृत्यु हो चुकी है तथा चंद कौर व जगर सिंह की मृत्यु उपरान्त व चंद कौर के पुत्र-पुत्रीयां सुखपाल कौर, रणजीत सिंह, दलीप सिंह, परमजीत कौर की मृत्यु उपरान्त इनके समस्त जायज व कानूनी वारिसान द्वारा अपने हक हिस्से का परित्याग 1/2 हिस्सा वादीया के नाम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण सख्या 1 त 3 के नाम जरिये पंजीकृत हक त्याग दिनांक 29.03.2025 किया हुआ है परन्तु प्रतिवादीया सख्या 4 द्वारा अपने को चंद कौर की मृत्यु उपरान्त प्राप्त होने वाले हक हिस्से का परित्याग नही किया अर्थात चन्द कौर के नाम दर्ज आराजी में प्रतिवादी सख्या 4-1/25 हिस्सा विरास्तन प्राप्त करने की अधिकारी है तथा वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के मध्य हक त्याग उपरान्त निम्न अनुसार राजस्व रिकार्ड में घोषणा करवाने हेतु सहमत हैः-

(क) हिस्सा वादीया इकबाल कौर, प्रतिवादीया सख्या 4 हरमीत कौर - चक 4 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 19/16, खाता अता मोहम्मद आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 में दर्ज कुल 9.361 हैक्टेयर कृषि भूमि में चंद कौर पत्नी जगर सिंह के नाम 335/9361 हिस्सा यानि .335 हैक्टेयर में .3216 हैक्टेयर आराजी वादीया इकबाल कौर के नाम व .0134 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादीया सख्या 4 हरमीत कौर के नाम घोषणा कर चंद कौर पत्नी जगर सिंह का नाम कलमजन एंव चक नम्बर 4 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 21/18, खाता चन्द कौर, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के पत्थर नम्बर 94/239 (12) में कुल दर्ज .633 हैक्टेयर आराजी में .6077 हैक्टेयर आराजी वादीया इकबाल कौर के नाम व .0253 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादीया सख्या 4 हरमीत कौर के नाम घोषणा कर चंद कौर पत्नी जगर सिंह का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है।

(ख) हिस्सा प्रतिवादीया सख्या 1 अमृतपाल कौर, प्रतिवादीया सख्या 2 हरप्रीत कौर, प्रतिवादीया सख्या 3 वीरपाल कौर, प्रतिवादीया सख्या 4 हरमीत कौर - चक 6 जे.डी.डब्लयू. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 52/51, खाता अमृतपाल कौर आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 4.073 हैक्टेयर कृषि भूमि में चंद कौर पत्नी जगर सिंह के नाम 968/4073 हिस्सा यानि 0.968 हैक्टेयर आराजी में 0.9293 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः अमृतपाल कौर, हरप्रीत कौर, वीरपाल कौर के नाम बहिस्सा बराबर व .0387 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादीया सख्या 4 हरमीत कौर के नाम घोषणा कर चंद कौर पत्नी जगर सिंह का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 4 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक करवाई गई व डिस्पाइनमैंट रिपोर्ट द्वारा तलबी कन्फर्म होने व हाजिर नहीं आने के कारण प्रतिवादी सं. 4 के

खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादीया निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है किः-

(क) **हिस्सा वादीया इकबाल कौर, प्रतिवादीया सख्या 4 हरमीत कौर** - चक 4 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 19/16, खाता अता मोहम्मद आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 में दर्ज कुल 9.361 हैक्टेयर कृषि भूमि में चंद कौर पत्नी जगर सिंह के नाम 335/9361 हिस्सा यानि .335 हैक्टेयर में .3216 हैक्टेयर आराजी वादीया इकबाल कौर के नाम व .0134 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादीया सख्या 4 हरमीत कौर के नाम घोषणा कर चंद कौर पत्नी जगर सिंह का नाम कलमजन किया जाता है एंव चक 4 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 21/18, खाता चन्द कौर, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के पत्थर नम्बर 94/239 (12) में कुल दर्ज .633 हैक्टेयर आराजी में .6077 हैक्टेयर आराजी वादीया इकबाल कौर के नाम व .0253 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादीया सख्या 4 हरमीत कौर के नाम घोषणा कर चंद कौर पत्नी जगर सिंह का नाम कलमजन किया जाता है।

(ख) **हिस्सा प्रतिवादीया सख्या 1 अमृतपाल कौर, प्रतिवादीया सख्या 2 हरप्रीत कौर, प्रतिवादीया सख्या 3 वीरपाल कौर, प्रतिवादीया सख्या 4 हरमीत कौर** - चक 6 जे.डी.डब्लयू. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 52/51, खाता अमृतपाल कौर आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 4.073 हैक्टेयर कृषि भूमि में चंद कौर पत्नी जगर सिंह के नाम 968/4073 हिस्सा यानि 0.968 हैक्टेयर आराजी में 0.9293 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः अमृतपाल कौर, हरप्रीत कौर, वीरपाल कौर के नाम बहिस्सा बराबर व .0387 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादीया सख्या 4 हरमीत कौर के नाम घोषणा कर चंद कौर पत्नी जगर सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ